



#### પ્राદेशिક કચેરી / क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office

પંયદીપ ભવન, આશ્રમ માર્ગ, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦ ૦૦૯ पंचदीप भवन, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद, गुजरात - ३८० ००९ Panchdeep Bhavan, Ashram Road, Ahmedabad, Gujarat - ३८०००९ Phone: 079-27582400/450, E-mail: rd-gujrat@esic.gov.in Website: www.esic.gov.in / www.esic.in

No: 37.A.12.18.2025.ओप्टोमेट्रिस्टसेसीनियरओप्टोमेट्रिस्टकेपदपरपदोन्नतिकेलिएडीपीसी-MED-ADMN

Date: 04-06-2025

### OFFICE ORDER NO: 10 OF 2025

Competent Authority, on the recommendation of the Departmental Promotion Committee, has ordered in-situ promotion of following official from the cadre of Optometrist to the cadre of Senior Optometrist, in the Pay Matrix Level 6, as per CCS (RP) Rules, 2016 (PB-II Rs. 9300-34800/- + GP Rs. 4200/-), on regular basis:

Ī	Sr. No.	Emp. ID	Name of official (Shri/Smt./Kum.)	Category	Selected against	Ordered Place of Posting
ĺ	1	166766	Angela Macwan	UR	UR	ESIC MH Bapunagar

- 1. The regular Promotion of the above official will take effect from the date on which she assumes the charge of promotional post at her ordered place of posting.
- 2. The above official shall exercise the option for fixation of pay, either from the date of promotion or from the date of next increment, within one month from the date of their promotion, as per the clause under FR 22(I)(a)(1) provided that option for fixation of pay in the promotional cadre in the above manner under MACP Scheme has not been availed/exercised earlier. **The option, once exercised, will be final.**
- 3. The declaration regarding the acceptance/refusal of the promotion offered should be communicated by the official concerned by 11.06.2025 through the respective Controlling Authority. In the absence of any communication, it will be presumed that she has not accepted the promotion and no correspondence in future will be entertained in this regard.
- 4. The promotion is subject to the terms and conditions of service as applicable to the similar class of employees as laid down in the ESI Corporation (Staff and Conditions of Service Regulations, 2023, as amended from time to time.
- 5. The promotion of the official ordered against the reserved category, if any, will be subject to satisfactory verification of their Caste Certificate from the Competent Authority concerned. Such official has to submit their latest Caste Certificate to this office through their respective Controlling Authority within one month of issuance of this order.
- 6. The Seniority of the promoted official will be determined in accordance with the order of the recommendation of the DPC.
- 7. Those who decline the offer of promotion will not be considered for regular promotion for a period of one year and will also be superseded, resulting in loss of seniority, as per rules, and the other officials promoted on regular basis prior to the date of their next promotion to the promotional post will become seniors to them.
- 8. Promotion of the official shall be subject to the final outcome of the SLP(C) No. 30621 of 2011 pending before Hon'ble Supreme Court.
- 9. Joining Report of the concerned official may be sent to this office in due course.

10. Hindi version will follow.

Digitally signed by YOGESH KALIDAS VADSARA Date: 04-06-2025 13:32:54

DEPUTY DIRECTOR

Deputy Director

### To:

- 1. The official concerned (Through Controlling Authority)
- 2. The Director General (Med-VI), ESIC Hqrs. Office, New Delhi- for information
- 3. The Medical Superintendent, ESIC Model Hospital, Bapunagar, Ahmedabad
- 4. Rajbhasha Shakha for Hindi Version
- 5. Website Content manager for uploading on ESIC Website.
- 6. Office Order File





પ્રાદેશિક કચેરી / क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office પંચદીપ ભવન, આશ્રમ માર્ગ, અમદાવાદ – 380014, ગુજરાત पंचदीप भवन, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद – 380014, गुजरात Panchdeep Bhavan, Ashram Road, Ahmedabad -14, Gujarat Phone: 079-27582400/450, E-mail: rd-gujrat@esic.nic.in Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

क्रमांक: 37.A.12.18.2025ऑप्ट्रोमेट्रिस्टसेसीनियरऑप्ट्रोमेट्रिस्टकेपदपरपदोन्नतिकेलिएडीपीसी दिनांक: 04-06-2025

# कार्यालय आदेश संख्या: 2025 का 10

सक्षम प्राधिकारी ने विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित अधिकारी को ऑप्टोमेट्रिस्ट के पद से विरष्ठ ऑप्टोमेट्रिस्ट के पद पर यथास्थान नियमित आधार पर केंद्रीय सिविल सेवा (वेतन पुनर्गठन) नियम, 2016 के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर 6 के अंतर्गत (वेतन बैंड-॥ ₹9300–34800/- + ग्रेड पे ₹4200/-) पदोन्नति प्रदान की है

## पदोन्नति का विवरण:

क्रम	कर्मचारी आईडी	कार्मिक का नाम (श्री /श्रीमती /कु.)	वर्ग	चयनित वर्ग	आदेशित तैनाती स्थान
1	166766	श्रीमती एंजेला मैकवान	सामान्य	सामान्य	क.रा.बी.नि.आदर्श अस्पताल, बापूनगर

- 1. उपरोक्त अधिकारी की नियमित पदोन्नति उस तिथि से प्रभावी होगी जिस दिन वह अपने आदेशित तैनाती स्थान पर पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करेगी।
- 2. उपरोक्त अधिकारी, एफ.आर . 22(1)(क)(1) के खंड के अनुसार, पदोन्नति की तिथि से या अगली वेतन वृद्धि की तिथि से, अपनी पदोन्नति की तिथि से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण का विकल्प चुन सकती हैं, बशर्ते कि एमएसीपी योजना के अंतर्गत पदोन्नति संवर्ग में उपरोक्त तरीके से वेतन निर्धारण का विकल्प पहले न लिया गया हो/प्रयोग न किया गया हो। एक बार विकल्प चुनने के बाद, यह विकल्प अंतिम होगा।
- 3. संबंधित अधिकारी द्वारा प्रस्तावित पदोन्नति की स्वीकृति/अस्वीकृति की घोषणा संबंधित नियंत्रण प्राधिकारी के माध्यम से 11.06.2025 तक प्रेषित की जानी चाहिए। किसी भी सूचना के अभाव में, यह माना जाएगा कि उसने पदोन्नति स्वीकार नहीं की है और भविष्य में इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 4. यह पदोन्नति समय-समय पर संशोधित ईएसआई कॉरपोरेशन (कर्मचारी एवं सेवा शर्तें विनियम, 2023) में निर्धारित समान श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू सेवा की शर्तों एवं नियमों के अधीन होगी।

- 5. आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आदेशित किसी भी अधिकारी की पदोन्नति, यदि कोई हो, संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके जाति प्रमाण पत्र के संतोषजनक सत्यापन के अधीन होगी। ऐसे अधिकारी को इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर अपने संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय में अपना नवीनतम जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 6. पदोन्नत अधिकारी की वरिष्ठता डी.पी.सी. की अनुशंसा के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
- 7. जो अधिकारी पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे, उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए नियमित पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें नियमों के अनुसार अधिक्रमित कर दिया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा पदोन्नति पद पर उनकी अगली पदोन्नति की तिथि से पूर्व नियमित आधार पर पदोन्नत अन्य अधिकारी उनसे वरिष्ठ हो जाएंगे।
- 8. अधिकारी की पदोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित एसएलपी (सी) संख्या 30621/2011 के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- 9. संबंधित अधिकारी की कार्यग्रहण रिपोर्ट यथासमय इस कार्यालय को भेजी जाए।

उप निदेशक

## प्रतिलिपि:

- 1. संबंधित अधिकारी (नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से)
- 2. महानिदेशक (Med-VI),क.रा.बी.निगम मुख्यालय, नई दिल्ली-सूचनार्थ
- 3. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल, बापूनगर
- 4. वेबसाइट कंटेंट मैनेजर क.रा.बी.निगम साइट पर अपलोड हेतु
- 5. कार्यालय आदेश फाइल